संख्या-229/2018/2935/22-2-2017-17(379)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकराम पुत्र श्री फुल्ला, निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-40168/प्रोबे0-5-दयायाचिका/999, दिनांक 08-11-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी इकराम पुत्र श्री फुल्ला, निवासी-ग्राम-कैलाशपुर, थाना-गागलहेड़ी जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जातिसूचक गाली दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 28.09.1984 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पलकटी, लाठी, चाकू, भाला व कुल्हाड़ी से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की । उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-02/1985 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर के आदेश दिनांक 22.12.1986 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2016 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु, 02 अन्य सहअभियुक्त फरार चल रहे है तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है । बन्दी द्वारा दिनांक 14.01.2017 तक 00 वर्ष 07 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 00 वर्ष 08 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनी अख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध किये जाने की पूर्ण संभावना है तथा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी इकराम (बन्दी संख्या-1729/2016) पुत्र श्री फुल्ला, निवासी जनपद- सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-229/2018/2935(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 राज्यमंत्री के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in